केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

श्री सांई तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कॉलोनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–801503

(वेबसाइट- www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में चालक सिपाही के रिक्त पदों पर पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ।

<u>आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–28.09.2016</u>

<u>विज्ञापन संख्या–01/2016</u>

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में सीधी नियुक्ति हेतु चालक सिपाही के पद (वेतनमान 5200–20200 + ग्रेड–पे 2000) की रिक्तियों की संख्या–1577 (एक हजार पाँच सौ सतहत्तर) है।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–01/2016 यहाँ जारी किया जा रहा है ।

पुलिस मुख्यालय का पत्रांक 521/पी–3 दिनांक 23.02.2016 एवं पत्रांक 3764/पी03 दिनांक–25.11.2015 तथा बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग, की अधिसूचना संख्या–14917, दिनांक–15 दिसम्बर, 2000 / गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना संख्या ज्ञापांक–7/वि0पु0ह0–203/2010–गृ0आ0–5344 दिनांक 15 जुलाई, 2011 बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक 8025 दिनांक 21 मई, 2013/ बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग का अधिसूचना संख्या–1708 दिनांक–03 मार्च, 2014 / गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना संख्या 6358 3 सितम्बर, 2015 एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक 1627/पी–3 दिनांक 26.05.2016 में वर्णित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती की प्रक्रिया की जायेगी ।

<u>अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता</u> :– दिनांक 01.08.2016 अथवा इसके पूर्व किसी भी राज्य शासन / केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / पर्षद से इंटरमीडिएट (10+2) परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ।

<u>चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता</u> :– मात्र वैसे ही पुरूष एवं महिला उम्मीदवार जिनके पास विज्ञापन की तिथि (25/08/2016) से कम से कम एक वर्ष पूर्व का निर्गत मोटर

गाड़ी चलाने की H.M.V. या L.M.V. अनुज्ञप्ति होगी, वे ही इस पद हेतु आवेदन करने के योग्य होंगे ।

<u>अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 अगस्त 2016 को):</u>

(1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 33 (तैंतीस) वर्ष ।

(3) अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 33 (तैंतीस) वर्ष ।

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 35 (पैंतीस) वर्ष ।

(5) बिहार पुलिस संगठन में संविदा के आधार पर नियोजित चालक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी ।

(6) बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित सभी आरक्षण कोटि के गृहरक्षक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी ।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अभ्यर्थी तथा पुलिस संगठन के संविदा चालक एवं सभी आरक्षण कोटि के गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि अनुभव एवं अधिमानता आदि के लिए कट–ऑफ तिथि 01 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा लागू होगी ।

<u>लिखित परीक्षा :–</u>

इस सम्बन्ध में गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना संख्या 5344 दिनांक 15.07.2011 तथा अधिसूचना संख्या 1708 दिनांक 03.03.2014 के आलोक में चालक सिपाही की सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा नहीं ली जायेगी ।

<u>सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया :–</u>

प्राप्त आवेदनों के आधार पर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच–माप परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा । शारीरिक जाँच–माप परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की मोटर गाड़ी चालन का परीक्षण किया जायेगा । मोटर गाड़ी चालन परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेधा सूची में से आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी सूची जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनियों के समादेष्टा/अन्य इकाईयों के कार्यालय प्रमुख को सौंप दी जायेगी । केन्द्रीय चयन पर्षद से योग्य अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा एवं विभिन्न इकाईयों के कार्यालय प्रधान द्वारा विहित प्रावधान के अधीन गठित

मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

<u>मेधा सूची</u> :–

मेधा सूची, शारीरिक जाँच–माप में सफल अभ्यर्थियों द्वारा वाहन चलाने की दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर पुलिस संगठन में नियोजित चालकों को प्रतिवर्ष के अनुभव के लिए देय अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी । समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण जन्म तिथियों के आधार पर; एवं समान अंक एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले; एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच–माप परीक्षण तथा वाहन चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा परन्तु शारीरिक जाँच–माप परीक्षण के आधार पर कोई अंक देय नहीं होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

<u>चिकित्सीय परीक्षण</u> – नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा । दृष्टि शक्ति–दोनों आँखों का बिना चश्मा अथवा चश्मा के साथ 6/6 तथा नजदीक का Vision (Near acuity) बिना चश्मा अथवा चश्मा के साथ दोनों आँखों का N-6 होना चाहिए । चयनित अभ्यर्थियों का Night vision, colour vision श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जाएगी । पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा एवं विभिन्न इकाईयों के कार्यालय प्रधान द्वारा विहित प्रावधान के अधीन गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

<u>आरक्षण</u> :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा । इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य की सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा । इसके अतिरिक्त बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक–20.01.2016 में बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

चालक सिपाही की कुल उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 50 प्रतिशत को बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों से भरा जा सकेगा । गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को पाँच वर्षों की छूट दी जायेगी ।

योग्य गृह रक्षक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटा की शेष रिक्तियों को उसी आरक्षण कोटि के गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा ।

<u>शारीरिक जाँच–माप परीक्षण :–</u>

<u>ऊँचाई</u> –

(1) अनारक्षित (सामान्य)/ पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) भारतीय मूल के गोरखा को सिर्फ बि0सै0पु0–1(गोरखा बटालियन) में – न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए– न्यूनतम 162 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गो की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 153 सेन्टीमीटर ।

<u>सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए)</u> –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए –

बिना फुलाए – 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर – 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए –

बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर– 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस–1 (गोरखा बटालियन) में –

बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर– 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

<u>शारीरिक योग्यताएँ</u> –

(1) **दौड़ –**

<u>सभी वर्गो के पुरूषों के लिए</u> –

एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा :–

6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)।

सभी वर्गों की महिलाओं के लिए –

एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा :–

8 मिनट (अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी)।

(2) **उँची कूद –**

सभी वर्गों के पुरूषों के लिए –न्यूनतम 3(तीन) फीट 6(छः) इंच

सभी वर्गों की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 2(दो) फीट 6(छः) इंच

(3) **लंबी कूद –**

सभी वर्गों के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 10 (दस) फीट

सभी वर्गों की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 7 (सात) फीट

(4) **गोला फेंक –**

सभी वर्गों के पुरूषों के लिए – 16 पौंड का गोला

न्यूनतम 14 (चौदह) फुट फेंकना होगा ।

सभी वर्गों की महिलाओं के लिए – 12 पौंड का गोला

न्यूनतम 8 (आठ) फुट फेंकना होगा ।

मोटर वाहन के चालन संबंधी दक्षता का परीक्षण –

वैसे उम्मीदवार जो शारीरिक जाँच–माप परीक्षण में सफल पाये जायेंगे उन्हें ही मोटर वाहन संचालन संबंधी दक्षता की जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे :–

(1) टेस्टिंग ट्रैक :– परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक (नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार) होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रूख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा ।

(नोटः– खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।)

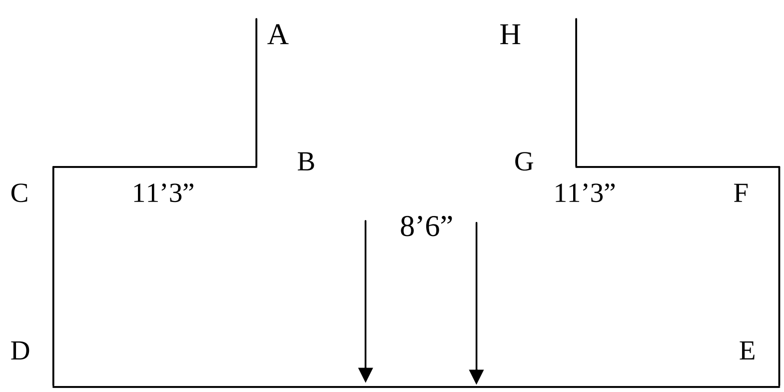

A से H = B से G=8’6” B से C = F से G=11’3”

C से D = E से F=25’6” D से E = C से F=31’

(2) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण–

(क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक – 10 (दस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :–

समय	गेयर परिवर्तन	अंक
1 मिनट	3 गेयर	10
1 मिनट	5 गेयर	08
2 मिनट	5 गेयर	06
3 मिनट	5 गेयर	04

(ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक – 10 (दस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे –

समय	गेयर परिवर्तन	अंक
1 मिनट	3 गेयर	10
1 मिनट	5 गेयर	08
2 मिनट	5 गेयर	06
3 मिनट	5 गेयर	04

(ग) बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच (जो खुले मैदान में लिया जायेगा) के लिए अधिकतम अंक–10 होंगे जो निम्नलिखित रीति से जाँच समिति द्वारा दिये जायेंगेः–

सभी गेयर बदलकर बिना गेयर में आवाज किये गाड़ी चलाने पर	– 04 अंक
गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना	– 02 अंक
गाड़ी को पीछे करते हुये 8 का चित्र बनाना	– 04 अंक

(3) मोटरयान अधिनियमों एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन, सफल उम्मीदवारों के वाहन चालन ज्ञान की मौखिक जाँच यातायात चिन्हों और संकेतों से संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित 100 प्रश्नों की सूची में से 20 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके लिए अधिकतम अंक 10 दिये जा सकेंगे । उम्मीदवारों द्वारा जाँच के दौरान प्रदर्शित योग्यता के आधार पर अंक दिये जायेंगे ।

(4) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट–पूर्जे, रख–रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान एवं वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के सम्बन्ध में सफल उम्मीदवारों की मौखिक जाँच की जायेगी, जिसके लिए कुल अंक 10 (दस) अवधारित होंगे ।

(5) उम्मीदवारों को उपर वर्णित सभी जाँच के लिए समेकित अधिकतम 50 अंक दिये जायेंगे । यह अंक परीक्षाओं के दौरान प्रदर्शित योग्यता के आधार पर देय होंगे ।

(6) संविदा के आधार पर पुलिस संगठन में नियोजित चालकों को अधिकतम 50 अंक के अधीन प्रतिवर्ष के अनुभव के लिए 2 (दो) अंक की अधिमानता अनुमान्य होगा, जो 5 (पाँच) अंको से अधिक देय नहीं होगा ।

वर्तमान में संविदा पर कार्यरत चालकों को ही अधिमानता अनुमान्य होगी । पूर्व में कार्यरत चालकों को नहीं । संबंधित पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा / ईकाई प्रधान या उनके प्रतिनिधि राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा ।

गाड़ी चलाने की अनुज्ञप्ति :– मात्र वैसे ही अभ्यर्थी का आवेदन–पत्र मान्य/स्वीकार किया जायेगा, जिनके पास विज्ञापन की तिथि (25/08/2016) से कम से कम एक वर्ष पूर्व का निर्गत मोटर गाड़ी चलाने की H.M.V. या L.M.V. अनुज्ञप्ति हो । इस मानक को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।

रिक्ति :– रिक्तियों की संख्या निम्नवत है जो घट बढ़ सकती है ।

श्रेणी / कोटि		पदों की संख्या
अनुसूचित जाति	–	297
अनुसूचित जनजाति	–	28
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	285
पिछड़ा वर्ग	–	200
पिछड़े वर्ग की महिला	–	51
अनारक्षित (सामान्य)	–	716
कुल योग	–	**1577**

विभिन्न इकाईयों में रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है ।

अभ्यर्थी का सत्यापनः– चालक सिपाही कोटि में नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की उँचाई, उनकी पहचान का सत्यापन, ड्राईविंग लाईसेंस आदि की जाँच संबंधित पुलिस अधीक्षक नियुक्ति के पूर्व ही कर लेंगे । यह जाँच अभ्यर्थी की उपस्थिति से पन्द्रह दिनों के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा । यदि इससे अधिक समय सत्यापन में लगता है तो उसका पूर्ण औचित्य पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस उप–महानिरीक्षक को समर्पित करेंगे एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करते हुये इसकी सूचना पर्षद को भी देंगे ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र :– चालक सिपाही के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । **दिनांक–29/08/2016 से ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी ।** विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट – **www.csbc.bih.nic.in** पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति में आवेदन–पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 450/–(चार सौ पचास) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 112/–(एक सौ बारह) रूपये निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से Online Transaction से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charges) एवं इस पर सर्विस टैक्स (Service Tax) के रूप में अलग से उपयुक्त राशि ली जायेगी । उपरोक्त सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश</u> :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर Bihar Police के Tab पर क्लिक करेंगे । इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल लिया जाता है तथा इन दोनों के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ भेजी जाती हैं । मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हैं । **अतः पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल अनिवार्य है ।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) को अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना है जो अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो इस स्थिति में अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में शुल्क के भुगतान संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) पर दी जायेंगी ।

पंजीकरण करने के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के मूल्य एवं (प्रोसेसिंग चार्ज + Service Tax) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । तत्पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर पर एक SMS भेजा जायेगा जिसमें उनके द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकरण किये जाने की सूचना के साथ पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा जिसका प्रयोग आवेदन–पत्र भरने के आगे के चरणों में किया जायेगा ।

एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा ।

आवेदन–पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना भरा हुआ आवेदन–पत्र A/4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) करना होगा । प्रिंट किये गये आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपना हाल का (एक माह के अंदर का) खींचा हुआ रंगीन फोटो चिपकायेंगे ।

आवेदन–पत्र पर मुद्रित 'घोषणा' के नीचे दिये गये दो बॉक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर क्रमशः अँग्रेज़ी एवं हिन्दी में करेंगे । तत्पश्चात फोटो लगे एवं हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र को स्कैन करने के उपरान्त पर्षद की वेबसाईट पर अपलोड (Upload) कर देंगे । सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS प्राप्त होगा तभी आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी ।

आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक–01.08. 2016 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन–पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे । आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरें । प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

आवेदन–पत्र में यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के आवेदक स्वयं को पिछड़ा वर्ग (BC) या पिछड़ा वर्ग (BC) के आवेदक स्वयं को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति (SC) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जाति (SC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी **कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की **वेबसाइट–** **www.csbc.bih.nic.in** एवं बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

भरे गये आवेदन–पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र (फोटो सहित) की मूल/छायाप्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि :–</u>

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि–28/09/2016 निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन–पत्रों की जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर नियुक्ति से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवेश–पत्र ऑन लाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS के माध्यम से दी जाती है अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन जारी रखें ।

अध्यक्ष
केन्द्रीय चयन पर्षद,
बिहार, पटना ।

अनुलग्नक–'क'

चालक सिपाही पद की रिक्तियों की विवरणी (बिहार सैन्य पुलिस–16,पटना को छोड़कर)								
क्रमांक	जिला एवं इकाई	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अत्यंन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**(पटना प्रक्षेत्र)** **पटना**	23	2	25	17	5	66	**138**
2	नालंदा	4	1	6	3	1	14	**29**
3	भोजपुर	9	1	10	7	2	26	**55**
4	बक्सर	3	0	4	2	1	10	**20**
5	कैमूर	6	1	6	5	1	19	**38**
6	रोहतास	8	1	11	6	2	31	**59**
7	औरंगाबाद	22	0	19	11	2	48	**102**
8	अरवल	5	0	5	4	1	15	**30**
9	जहानाबाद	11	1	10	7	2	30	**61**
10	गया	14	1	2	8	2	23	**50**
11	नवादा	10	1	6	6	1	15	**39**
12	अपराध अनुसंधान विभाग	0	0	1	0	1	1	**3**
13	विशेष शाखा	3	0	3	2	1	8	**17**
14	वितंतु	3	0	3	2	1	5	**14**
15	बिहार पुलिस अकादमी	0	0	0	1	0	2	**3**
16	परिवहन मुख्यालय	9	0	9	7	1	26	**52**
17	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र डुमराँव	0	0	0	0	0	0	**0**
18	एस0सी0आर0बी0	0	0	0	0	0	0	**0**
	;kx&	**130**	**9**	**120**	**88**	**24**	**339**	**710**
19	**(मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र)** **मुजपफरपुर**	8	1	13	6	2	20	**50**
20	सीतामढ़ी	7	0	5	4	1	14	**31**
21	शिवहर	2	0	3	2	0	7	**14**
22	वैशाली	7	1	6	4	1	13	**32**
23	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	10	2	7	5	1	13	**38**
24	पश्चिमी चम्पारण(बेतिया)	5	1	5	4	1	7	**23**
25	बगहा	5	0	6	2	1	10	**24**
26	गोपालगंज	4	0	6	4	1	15	**30**
27	सिवान	6	1	6	3	2	14	**32**
28	सारण	6	1	7	3	1	11	**29**
	;kx&	**60**	**7**	**64**	**37**	**11**	**124**	**303**

29	**(दरभंगा प्रक्षेत्र)** **दरभंगा**	0	1	0	0	1	0	**2**
30	कटिहार	3	1	5	3	1	16	**29**
31	पूर्णिया	5	0	4	2	0	7	**18**
32	अररिया	5	0	5	4	1	13	**28**
33	किशनगंज	3	0	4	3	1	8	**19**
34	सुपौल	7	0	5	3	1	9	**25**
35	सहरसा	1	1	2	1	1	6	**12**
36	मधेपुरा	4	1	4	2	1	8	**20**
37	मधुबनी	7	1	7	8	1	21	**45**
38	समस्तीपुर	7	1	7	6	1	13	**35**
	;kx&	**42**	**6**	**43**	**32**	**9**	**101**	**233**
39	**(भागलपुर प्रक्षेत्र)** **भागलपुर**	9	2	9	5	2	24	**51**
40	शेखपुरा	3	0	4	2	0	4	**13**
41	लखीसराय	3	0	3	2	1	8	**17**
42	बेगुसराय	7	1	6	5	1	16	**36**
43	खगड़िया	3	0	3	3	0	6	**15**
44	जमुई	3	0	2	3	0	8	**16**
45	मुंगेर	5	1	3	4	0	9	**22**
46	बाँका	3	0	3	3	0	8	**17**
47	नवगछिया	3	0	1	1	0	2	**7**
48	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, नाथनगर	1	0	1	0	0	1	**3**
49	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, सिमुलतल्ला	0	0	0	0	0	0	**0**
	;kx&	**40**	**4**	**35**	**28**	**4**	**86**	**197**
50	**(रेल प्रक्षेत्र)** रेल पटना	1	0	1	0	1	2	**5**
51	रेल जमालपुर	0	1	0	1	0	1	**3**
52	रेल मुजफरपुर	2	0	2	1	0	4	**9**
53	रेल कटिहार	1	0	1	0	0	5	**7**
	;kx&	**4**	**1**	**4**	**2**	**1**	**12**	**24**
54	**बिहार सैन्य पुलिस–1, पटना**	0	0	0	0	0	0	**0**
55	बिहार सैन्य पुलिस–2, डिहरी	2	0	1	1	0	1	**5**
56	बिहार सैन्य पुलिस–3,बोधगया	2	0	1	1	0	1	**5**
57	बिहार सैन्य पुलिस–4, डुमराँव	0	0	0	0	0	0	**0**
58	बिहार सैन्य पुलिस–5, पटना	1	1	1	1	0	14	**18**
59	बिहार सैन्य पुलिस–6, मुजफ्फरपुर	2	0	0	0	0	0	**2**
60	बिहार सैन्य पुलिस–7, कटिहार	2	0	2	2	0	6	**12**
61	बिहार सैन्य पुलिस–8, बेगुसराय	0	0	0	0	0	0	**0**
62	बिहार सैन्य पुलिस–9, जमालपुर	0	0	0	0	0	1	**1**

63	बिहार सैन्य पुलिस–10, पटना	0	0	0	0	0	0	**0**
64	बिहार सैन्य पुलिस–11, जमुई	5	0	5	3	1	14	**28**
65	बिहार सैन्य पुलिस–12, सहरसा	0	0	0	0	0	1	**1**
66	बिहार सैन्य पुलिस–13, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	**0**
67	बिहार सैन्य पुलिस–14, पटना	2	0	2	0	0	0	**4**
68	बिहार सैन्य पुलिस–15, बगहा, बाल्मिकीनगर	1	0	1	1	0	3	**6**
69	महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम	4	0	6	4	1	13	**28**
	;kx&	**21**	**1**	**19**	**13**	**2**	**54**	**110**
	कुल योग	**297**	**28**	**285**	**200**	**51**	**716**	**1577**

संक्षिप्त विवरणी

क्रमांक	जिला एवं इकाई	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अत्यंन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	कुल
1	**(पटना प्रक्षेत्र) पटना**	130	9	120	88	24	339	710
2	**(मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र) मुजपफरपुर**	60	7	64	37	11	124	303
3	**(दरभंगा प्रक्षेत्र) दरभंगा**	42	6	43	32	9	101	233
4	**(भागलपुर प्रक्षेत्र) भागलपुर**	40	4	35	28	4	86	197
5	(रेल प्रक्षेत्र) रेल पटना	4	1	4	2	1	12	24
6	**बिहार सैन्य पुलिस–1, पटना**	21	1	19	13	2	54	110
कुल योग–		**297**	**28**	**285**	**200**	**51**	**716**	**1577**